समाहरणालय, अरवल

(जिला योजना कार्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्र संख्या–5043 दिनांक 07.09.2016 के आलोक में अरवल जिला में नव निर्मित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, अरवल के भवन के साफ–सफाई बाह्य स्रोत से कराने के निमित इच्छुक संस्थाओं एवं फर्मो के माध्यम से सेवायें प्राप्त करने हेतु मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 15.04.2020 के अपराह्न 02:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, अरवल में प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में 04:00 बजे अपराह्न जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

➢ **निविदा की शर्ते:–**

1. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, अरवल के परिसर जिसकी कुल क्षेत्रफल 55537 Sq.Feet एवं भवन का क्षेत्रफल 15600 Sq.Feet है, की प्रत्येक दिन कम–से–कम दो बार सफाई एवं भवन के आंतरिक भाग की सफाई शौचालय सहित केन्टीन परिसर का फिनाईल से पौछा का कार्य सुनिश्चित किया जाना है। निविदादाता के पास Modern Equpitment से साफ–सफाई कराने हेतु क्षमता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड/मुहर बंद लिफाफे में ही स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

➢ **तकनीकी निविदा की शर्ते:–**

3. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है;–
   - (i) अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी, अरवल के पदनाम से निर्गत 20000.00 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट।
   - (ii) संस्था/फर्म के EPF/ESI से निबंधित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   - (iii) अद्यतन GST रिर्टन संबंधी रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसमें कम–कम से 10 लाख रूपये रिर्टन हो।
   - (iv) सरकारी/निजी संस्थानों में विज्ञपत सेवाएँ संबंधी कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।
   - (v) संस्था का किसी फौजदारी अथवा दीवानी मामले में मुकदमा लंबित नहीं होने एवं किसी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं रखने का शपथ पत्र ।
   - (vi) संस्था को श्रम विभाग से नियमानुसार अनज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (vii) संस्था को आयकर निबंधन/पैन कार्ड संलग्न करना होगा तथा अद्यतन तीन वर्ष की आयकर रिर्टन की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (viii) संस्था को विगत तीन वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

➢ **वित्तीय निविदा की शर्ते:–**

4. प्रतिदिन की साफ–सफाई हेतु भवन एवं बरामदा में फ्लोर एरिया एवं टाईल्स एरिया आएगा तथा टाईल्स एरिया से उपर वाले भाग को माह में दो बार साफ–सफाई करनी होगी। वित्तीय निविदा में फ्लोर एवं टाईल्स एरिया की साफ–सफाई के लिए प्रति वर्ग फीट प्रति माह के आधार पर दर अंकित करना होगा, जिसमें शौचालय के साफ–सफाई भी शामिल है। बाहरी परिसर एवं भवन की आंतरिक भाग (जो टाईल्स एरिया के उपर का दिवार एवं छत जिसकी साफ–सफाई माह में दो बार करनी है) के साफ–सफाई हेतु एकमुश्त राशि प्रति माह के दर

से अंकित करना होगा। पानी टंकी एवं उपस्कर की साफ–सफाई हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

5. **तकनीकी निविदा शर्त अनुरूप मान्य होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।**

➢ **अन्य शर्तें:–**

6. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, अरवल के बाहरी परिसर में अवस्थित उद्यान (Garden) का रख–रखाव हेतु माली (Gardener) का व्यवस्था करना होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
7. केन्द्र की सफाई प्रतिदिन करने हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी (न्यूनतम संख्या 04) एवं सफाई सामग्रियों की व्यवस्था संस्था द्वारा स्वयं की जायेगी। किसी कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर अन्य सुरक्षित कर्मी की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी।
8. सफाई कर्मी के ड्रेस एवं पहचान पत्र आदि तैयार किये जाने में व्यय राशि संस्था को स्वयं वहन करना होगा। ड्रेस की उपलब्धता प्रत्येक छः माह पर निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा।
9. केन्द्र के आंतरिक भाग एवं शौचालय की सफाई एक से अधिक बार कराई जा सकती है फलस्वरूप कार्यालय अवधि में कुछ सुरक्षित कर्मी का होना अनिवार्य रहेगा। इस हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. संस्था को किसी प्रकार के परिवहन व्यय एवं अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. विपत्र में आवश्यक करों की कटौती करने के उपरान्त भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा।
12. निविदा की शर्तो के अनुरूप संस्था के साथ ग्यारह माह के लिए अनुबंध किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में ही अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जायेगी। अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य संस्था से कार्य कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
13. कार्यादेश निर्गत होने के दो दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में संस्था को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
15. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अरवल होगा।
16. आंतरिक परिसर की सफाई का कार्य में वैक्यूम क्लीनर, स्क्रवर, वाटर प्रेशर मशीन का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं सामग्री (जैसे–फ्लोर क्लीनर, फिनाईल, ग्लास क्लीनर, मास्कीट स्प्रे एवं कॉकरोच स्प्रे आदि) एजेंसी द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा।
17. निविदा में स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति हीं निविदा में भाग लेंगे।

जिला पदाधिकारी
अरवल।